

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

(3)

क्रमांक 229 /आउशि/ब-यो./06  
प्रति,

रायपुर, दिनांक 15.7.06

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय,  
डोंडी, जिला - दुर्ग (छ.ग.)।



विषय :-

डोंडी में शासकीय नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत ।

संदर्भ :-

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक एफ - 5 - 121/2005/38 रायपुर  
दिनांक 05.07.2006

राज्य शासन के संदर्भित आदेशानुसार डोंडी (जिला - दुर्ग) में नवीन शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर विज्ञान, कला एवं वाणिज्य संकाय छात्र शैक्षणिक सत्र 2006 - 07 में प्रारंभ करने तथा कुल 19 अस्थाई पदों के सृजन करने की स्वीकृति वित्त विभाग की पत्र क्रमांक 3005/वित्त विभाग / गजट - 3/चार/2006 दिनांक 03.07.2006 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। उक्त पदों का वर्गीकृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद संख्या	वेतनमान
<b>शैक्षणिक पद</b>			
1.	प्राचार्य, स्नातक	01	12000 - 18300
2.	सहायक प्राध्यापक		
	(अ) विज्ञान संकाय		
	(i) रसायन शास्त्र	01	8000 - 13500
	(ii) प्राणीशास्त्र	01	8000 - 13500
	(iii) वनस्पति शास्त्र	01	8000 - 13500
	(iv) माइक्रोबायोलॉजी	01	8000 - 13500
	(ब) वाणिज्य संकाय	01	8000 - 13500
	(व्यवसायिक - बैंकिंग)		
	(स) कला संकाय		
	(i) हिन्दी	01	8000 - 13500
	(ii) अंग्रेजी एवं कम्प्यूनिकेटिव इंग्लिश	01	8000 - 13500
	(iii) राजनीति	01	8000 - 13500
	(iv) अर्थशास्त्र	01	8000 - 13500
	(v) भूगोल	01	8000 - 13500
<b>अशैक्षणिक पद</b>			
3.	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	4000 - 6000
4.	सहायक ग्रेड - 1	01	4500 - 7000
5.	सहायक ग्रेड - 2	01	4000 - 6000
6.	सहायक ग्रेड - 3	01	3050 - 4590
7.	भृत्य	02	2550 - 3200
	<b>योग :-</b>	<b>19</b>	

D:\Budget Letter\06(173)



उपरोक्त व्यय मांग संख्या - 44 - उच्च शिक्षा - 2202 - सामान्य शिक्षा (03) - वि.वि. और उच्च शिक्षा - 103 - सरकारी कॉलेज और संस्थाएँ - 0101 - राज्य आयोजना (सामान्य) - 798 - ला, विज्ञान, वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना मद के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

(के.डी.पी.राव)

आयुक्त

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक 230 /आउशि/ब-यो./05

रायपुर, दिनांक ...18/7/06

तेलिपि :-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर। ✓
2. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर।
3. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर। ✓
5. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर। ✓
6. कलेक्टर, जिला - दुर्ग। ✓
7. कुल सचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की ओर इस निर्देश के साथ महाविद्यालय को संबद्धता प्रदान करने के आदेश तत्काल जारी कर पालन प्रतिवेदन की प्रति संचालनालय को उपलब्ध करावें।
8. संयुक्त संचालक, (राज.स्था./अराज.स्था.) उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर। ✓
9. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, दल्लीराजहरा (प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय डौंडी का अतिरिक्त प्रभार आगामी आदेश तक के लिए सौंपा जाता है तदानुसार प्रवेश की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करें)।
10. संबंधित कोषालय अधिकारी, जिला - दुर्ग।  
..... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अपर संचालक

उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर (छ.ग.)





छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नया रायपुर

JD ..... / JD (K) / DD .....  
Section .....  
Date 20 MAR 2018 C.H.E.

कमांक एफ 3-16/2018/38-1  
प्रति,

नया रायपुर, दिनांक 20/03/2018

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नया रायपुर।

2.4.1 (a)

विषय:- शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत अस्थायी पदों की निरंतरता की स्वीकृति बाबत।

राज्य शासन एतद् द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्वीकृत अस्थायी पदों मांग -44-उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा -103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना के अन्तर्गत 44 महाविद्यालयों के 1096 पदों तथा मांग संख्या-41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना -- 2202-सामान्य शिक्षा-03- विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा -103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें (0102)-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (798)-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, आयोजना के अन्तर्गत 45 महाविद्यालयों के 952 पदों एवं मांग संख्या-64-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना -2201-सामान्य शिक्षा -03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-(0103)-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- (798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, अनुसूचित जाति उपयोजना, आयोजना के अन्तर्गत 7 महाविद्यालयों के 167 पद इस प्रकार कुल 2214 अस्थायी पदों की दिनांक 01-03-2018 से 28-02-2019 तक की अवधि के लिये निरंतरता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2/ उक्त पदों पर होने वाला व्यय उपर्युक्तानुसार उल्लेखित व्यय शीर्षों के अन्तर्गत विकल्पनीय होगा।

3/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर कमांक F2018-38-001318/ B-3/चार दिनांक 19/03/2018 द्वारा दी गई सहमति अनुसार दी जाती है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार (101 महाविद्यालयों की सूची)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(दुर्गा देवांगन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

CI(L338)u



नया रायपुर, दिनांक /03/2018

क एफ 3-16/2018/38-1

तिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
  2. मित्र सहायक, सचिव, छ.ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग.)
  3. संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
  4. महालेखाकार, छ.ग. रायपुर,
  5. अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। कृपया समस्त संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालयों को पद निरंतरता की स्वीकृत सूचित करने का कष्ट करे,
  6. समस्त जिला कोषालय, अधिकारी, छत्तीसगढ़
  7. आदेश कोल्डर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय  
ब्लॉक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन  
नया रायपुर (छ0ग0)

क्रमांक- 248/226-1/आउशि/समन्वय/17  
प्रति,

नया रायपुर दिनांक 21/03/2018

✓ प्राचार्य, सर्व संबंधित शासकीय महाविद्यालय छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(डॉ. किरण गजपाल)

संयुक्त संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
रायपुर (छ0ग0)

क्र	वर्ग (Persons)	वर्ष 1980-81 (Person 17400-47000 & 50000)																	वर्ष 1981-82 (Person 6000-13500 & 15000-30700 & 30700-45000)																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
1	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
4	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
7	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
8	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
9	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
11	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	उच्च शिक्षा	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1





छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
:: मंत्रालय ::  
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर  
जिला-रायपुर  
email - higher education@cg.gov.in

कमाक एफ 3-15/2019/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दि 25/03/2020

प्रति

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर अटल नगर,

विषय- प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति।

राज्य शासन, प्रदेश के निम्नलिखित 25 शासकीय महाविद्यालयों में, स्नातक स्तर पर नवीन संकाय/विषय/पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निम्नानुसार अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है -

क्र	महाविद्यालय का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सीट संख्या	नवीन पद		
					सहायक प्राध्यापक	प्रयोगशाला तकनीशियन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अमनपुर	बी एस सी	कम्प्यूटर साइंस	40	1	1	2
2	शासकीय महाविद्यालय, नवापारा गोबरा	बी.ए.	गृहविज्ञान	40	1	1	2
			मनोविज्ञान	40	1	1	2
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, बीरगाव	बी एस सी	भौतिक शास्त्र	40	1	1	2
			गणित	40	1	0	1
4	शासकीय नवीन महाविद्यालय भाठागाव जिला रायपुर	बी.ए.	समाजशास्त्र	40	1	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8
19	सहायकीय पालीय महाविद्यालय काशी	डी एन टी	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40	1	0	0
20	सहायकीय पालीय महाविद्यालय काशी	डी ए	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40	1	0	0
21	सहायकीय पालीय महाविद्यालय काशी	डी ए	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40	1	0	0
22	सहायकीय पालीय महाविद्यालय काशी	डी ए	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40	1	0	0
23	सहायकीय पालीय महाविद्यालय काशी	डी ए	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40	1	0	0
24	सहायकीय पालीय महाविद्यालय काशी	डी ए	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40	1	0	0
25	सहायकीय पालीय महाविद्यालय काशी	डी ए	कम्प्यूटर एप्लीकेशन	40	1	0	0
<b>योग</b>				<b>40</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2/ सहायक प्राध्यापक के पद का वेतनमान अकादमिक कैलेंडर लेवल-10 तथा प्रयोगशाला तकनीक शिक्षण का वेतनमान वेतन मेट्रिकल लेवल-6 होगा।

3/ उपरोक्तानुसार पदों पर होने वाला व्यव निम्नलिखित मांग सख्याओं के अंतर्गत विकल्पनीय होगा -

(अ) सरल क्रमांक 1 से 18 तक के पदों हेतु मांग सख्या-44 उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संख्याएं-0101-राज्य आयोग (सामान्य) 798-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आयोग के अंतर्गत।




(ब) सरल क्रमांक 19 से 22 तक के पदों हेतु मांग संख्या-41, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-(0102)-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपयोजना, आयोजना के अन्तर्गत।

(स) सरल क्रमांक 23 से 25 तक के पदों हेतु मांग संख्या-64, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-220-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-103-सरकारी कॉलेज और संस्थायें-(0103)-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (798)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय, अनुसूचित जाति उपयोजना, आयोजना के अन्तर्गत।

4/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के जाचक क्रमांक 327/वित्त विभाग/ब-3/2020, दिनांक 19.03.2020 द्वारा प्रदान की गई है।

5/ उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालयों को पद निर्माण की स्वीकृति से अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

  
(जी.एल. सांकला)

उप सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग


क्रमांक एफ 3-15/2019/38-1

नवा रायपुर अटल नगर, दि. 25/03/2020

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, नवा रायपुर अटल नगर,
2. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
3. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर/दुर्ग/बिलासपुर/बस्तर/अंबिकापुर,
4. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़
5. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

खेलन 5803



छत्तीसगढ़ शासन  
उच्च शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, नया रायपुर

No.: L-201	22	861
AD: (M) (C) (D) (I)	100	
Section: Khatola/...		
Date: ...		

क्रमांक एफ 3-16/2019/35-1  
प्रति.

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 25/03/2020

आयुक्त,  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
इंद्रावती भवन,  
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर।

विषय :-

प्रदेश के 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु अतिरिक्त पदों के निर्माण की स्वीकृति।

राज्य शासन, प्रदेश के निम्नलिखित 25 शासकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु सहायक प्राध्यापक के 45 अतिरिक्त पद पतनभूत अकादमिक वेतन लेवल-10 में निर्माण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र	महा. का नाम	पाठ्यक्रम	विषय	सीट संख्या	सहायक प्राध्यापक	पद
1	शास. इंधाधारी श्री वैष्णव स्नातकोत्तर संस्कृत महा. रायपुर	पीजीडीसीए/ डिप्लोमा	कम्प्यूटर एप्लीकेशन योगा	20 20	1 1	1 1
2	शासकीय स्व. सत्यनारायण अग्रवाल महाविद्यालय तिलदा नेवरा कोहका	एम.ए	राजनीति शास्त्र समाजशास्त्र	20 20	1 1	1 1
3	शासकीय काशी पाध्यापक हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर	एम.कॉम एम.एस.सी	वर्णजय वनस्पति शास्त्र	20 20	1 1	1 1
4	शासकीय महाविद्यालय नवापारा गोबराबारा	एम.ए	भूगोल हिन्दी साहित्य	20 20	1 1	1 1
5	शासकीय पी. जी. दास कल्याण महाविद्यालय बलौदाबाजार	एम.एस.सी एल.एल.एग	प्राणीशास्त्र विधि	20 20	1 2	1 2

CI(1.601)a

Entered in  
2020

Principal

Govt. Kanglamanjhi College  
Doundi, Distt. Balod (C.G.)

Principal

GOVT. KANGLAMANJHI COLLEGE  
DOUNDI, DISTT.- BALOD (C.G.)

क्र.	विवरण	प्रकार	विवरण	प्रकार	प्रकार	प्रकार
1	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
2	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
3	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
4	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
5	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
6	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
7	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
8	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
9	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व
10	सामान्य शिक्षण	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व	सर्व

2/ उपरोक्तानुसार धर्ती 41 होने वाला मात्र विन्दितिकित नाम सहाय्यी के सामान्य विद्यालयीय होगा-

- (अ) सरल क्रमांक 1 से 18 तक के धर्ती हेतु नाम सहाय्य-41, 194 शिक्षा-2202 सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-102-सरकारी कॉलेज और सहाय्यी-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 198-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आयोजना के अन्तर्गत।
- (ब) सरल क्रमांक 19 से 22 तक के धर्ती हेतु नाम सहाय्य-41, आदिवासी उच्च शिक्षा-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा-102-सरकारी कॉलेज और सहाय्यी-0102-आदिवासी क्षेत्र उपरोक्त (198)-कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय आदिवासी क्षेत्र उपरोक्त आयोजना के अन्तर्गत।



**गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय**  
**दौंडा, दत्त बांद (C.G.)**  
**दौंडा**  
**पुणे जिल्हा**

दिनांक: १५/०५/२०२१

पत्र क्र. १०००/२०२१

प्रति,  
 सर्व माननीय प्राध्यापकांस,  
 गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय,  
 दौंडा.


विषय :- सर्व प्राध्यापकांस वी. ए. ए. १-२०२०/२०२१ चे परीक्षा केंद्रे व सत्रेबाबतची सूचना देण्यात येत आहे. याबाबतची सूचना खालीलप्रमाणे आहे.

प्राध्यापक :- विद्यार्थ्यांना वी. ए. ए. १-२०२०/२०२१ चे परीक्षा केंद्रे व सत्रेबाबतची सूचना खालीलप्रमाणे आहे.

सर्व प्राध्यापकांस वी. ए. ए. १-२०२०/२०२१ चे परीक्षा केंद्रे व सत्रेबाबतची सूचना देण्यात येत आहे. याबाबतची सूचना खालीलप्रमाणे आहे. याबाबतची सूचना खालीलप्रमाणे आहे. याबाबतची सूचना खालीलप्रमाणे आहे.

आपला विश्वासू :-

क्र.	परीक्षा केंद्राचे नाव	परीक्षा केंद्र / सत्र	परीक्षा केंद्राचे क्रमांक	परीक्षा केंद्राचे क्रमांक	परीक्षा केंद्राचे क्रमांक
१	गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय दौंडा	दौंडा (सी)	०१	०१	०१
२	गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय दौंडा	दौंडा (सी)	०२	०२	०२
३	गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय दौंडा	दौंडा (सी)	०३	०३	०३
४	गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय दौंडा	दौंडा (सी)	०४	०४	०४
५	गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय दौंडा	दौंडा (सी)	०५	०५	०५
६	गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय दौंडा	दौंडा (सी)	०६	०६	०६
७	गौतम कान्ग्यामजी महाविद्यालय दौंडा	दौंडा (सी)	०७	०७	०७

  
**Principal**  
**Gaut. Kangiamanji College**  
**Dound, Datt Band (C.G.)**

05	शासकीय राजमोहनी देवी कन्या पीजी महाविद्यालय अम्बिकापुर	बी.कॉम	03	00	40
06	शासकीय कगला मांझी महाविद्यालय डौण्डी जिला बालोद	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	
		बी.ए. इतिहास	01	00	25

मांग संख्या -64

क्र.	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्वीकृत विषय / कक्षा	स्वीकृत सहायक प्राध्यापकों की संख्या	स्वीकृत प्रयोगशाला तक. की संख्या	स्वीकृत छात्र संख्या
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय नवीन महाविद्यालय पामगढ	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	
2	शासकीय महाविद्यालय गण्डई जिला राजनादगांव	बी.एस.सी. (कम्प्युटर साईंस)	01	01	25
3	शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर जिला बिलासपुर	बी.एस.सी. (गणित समूह)	01	00	30
		भौतिकशास्त्र	01	01	

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक एफ 2017-38-01136/बी-3/चार, दिनांक 20.1.2017 द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(दुर्गा देवांगन)  
अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

रायपुर, दिनांक 27/11/2017

क्रमांक एफ 3-55/2017/38-1

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक, मान.मंत्री जी, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा, मंत्रालय, नया रायपुर,
2. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ0ग0 शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर,
3. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, नया रायपुर,
4. संबंधित कलेक्टर जिला..... छ.ग.
5. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर,
6. क्षेत्रीय अपर संचालक, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर, छ.ग.,
7. संबंधित प्राचार्य..... छ.ग.
8. कुल सचिव, बस्तर/सरगुजा/बिलासपुर/दुर्गा/पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय छ0ग0, की ओर सूचनार्थ प्रेषित,
9. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव

छ0ग0 शासन, उच्च शिक्षा विभाग

C1(L275)A

Principal  
Govt. Kanglamanjhi College  
Doundi, Distt. Balod (C.G.)

Principal  
Govt. Kanglamanjhi College  
Doundi, Distt. Balod (C.G.)

4/9/20

# कौशलिय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लॉक-3, द्वितीय/द्वितीय तह, इकावली भवन, नया रायपुर, अरुण नगर, जिला-रायपुर (छत्ताग)

क्रमांक 12/07/आरशि/घोषणा/2020-21

अरुण नगर, दिनांक 15/7/2020

प्रति,

अरुण नगर,  
छत्ताग शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
मन्त्रालय, महावली भवन, नया रायपुर,  
अरुण नगर, जिला-रायपुर (छत्ताग)



विषय- प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम/संकाय प्रारंभ करने हेतु अनुमति प्रदान करने बाबत।

—00—

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश के 07 शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम/संकाय प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव संलग्न है।

शासकीय महाविद्यालयों द्वारा स्ववित्तीय योजनांतर्गत प्रस्तावित पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जा सकती है:-

1. स्ववित्तीय योजना के अंतर्गत उक्त पाठ्यक्रमों का संचालन किया जावेगा।
2. सैद्धांतिक कर्मचारियों की एवं लाइब्रेरी, फर्नीचर तथा उपकरण, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था नक्का को अपने स्वयं के स्त्रोतों से वहन करना होगा। इसके लिए किसी प्रकार का वित्तीय भार शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा, अर्थात् राज्य शासन द्वारा भविष्य में किसी प्रकार का आवसी तथा अनुदान व्यय हेतु कोई भी अनुदान नहीं दिया जावेगा।
3. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित सैद्धांतिक योग्यता के आधार पर शासन के निर्धारित मापदंड पर की जावेगी।
4. उक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ करने पर आय-व्यय के लेखों का सत्यापन विभागीय अंकेक्षण दल/सीए द्वारा कराया जाकर प्रतिवर्ष उच्च शिक्षा संचालनालय को अपना प्रतिवेदन सौंपना होगा।

कृपया 07 शासकीय महाविद्यालयों में सत्र 2020-21 से स्ववित्तीय योजना अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर नवीन विषय/पाठ्यक्रम/संकाय प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करना चाइये।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

Principal  
Sri. Kamlamang College  
Bhat, Dist. Balasore (C.G.)

अपर संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय,  
अरुण नगर रायपुर

2020-21 हेतु स्ववित्तीय योजना अंतर्गत नवीन विषय / पाठ्यक्रम / संकाय प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव

1	2	3	4
	महाविद्यालय का नाम	प्रस्तावित पाठ्यक्रम	वांछित सीट संख्या
1	शास. बिल्कला कन्या स्नातकोत्तर महा. बिलासपुर	वाणिज्य B.B.A. 3 year	30
		गृहविज्ञान B.sc Home sc. Fasion Designing 3 year	50
		समाजशास्त्र MSW 2 Year	20
		कीड़ा विभाग P.G. Diploma in Yoga Science 1 Year	30
		कीड़ा विभाग Basic & Advacne Sports Fitness programme 3 Month (Cert. Prog.)	40
2	शास. जगतलखर महा. मस्तुरी, जिला - बिलासपुर	संस्कृत M.A. Sanskrit 2 Year	20
		एम.एस.सी. (गणित)	20
3	शास. विनीमल कन्या महा. कांरवा	एम.एस.सी. (प्राणीशास्त्र)	20
		बी.एस.सी. (कम्प्यूटर साइंस)	30
		एम.ए. (भूगोल)	20
		एम.एस.सी. (रसायनशास्त्र)	20
		एम.एस.सी. (गणित)	25
		पी.जी.डी.सी.ए.	30
	शास. प. इयामनगर शुक्ल महा. धरसीवा, रायपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	40
	शास. प्रसाद काकी स्नातकोत्तर शास. महा. आरंग	पी.जी.डी.सी.ए.	40
		डी.सी.ए.	40
	शास. कमला माझी महा. डोण्डी	पी.जी.डी.सी.ए.	40
	शास. महाभाया महाविद्यालय रतनपुर	पी.जी.डी.सी.ए.	40
		डी.सी.ए.	40
		एम.कॉम	20

Principal  
Govt. Kanglamanjhi College  
Bundi, Distt. Balod (C.G.)

अपर-संचालक  
उच्च शिक्षा संचालनालय